दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

आईटीआई उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिये साक्षात्कार 30 जुलाई को

रायगढ़। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायगढ़ में 30 जुलाई 2021 को प्रातः10 बजे से रिम्स ग्रुप (इंडस्ट्रियल आपरेशंस एंड मेटेनेंस कंपनी)नागपुर में विभिन्न पदों हेतु व्यवसाय-विद्युतकार, वायरमेन, आरएससी, फिटर, टर्नर, वेल्डर, मोटर मैकेनिक, मशीनिष्ट, डीजल मैकेनिक में सत्र 2018, 2019 एवं 2020 में आईटीआई उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार आयोजित किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार अपनी सभी मार्कशीट की मूल प्रति एवं छायाप्रति, बायोडाटा, पैनकार्ड/आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, पासपोर्ट साईज 2 फोटो एवं स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के साथ नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित हो सकते है।

जिले में 423.8 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

रायगढ़। चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 24 जुलाई तक 423.8 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 57.9 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 421.6 मिली मीटर, पुसौर में 572.2, खरसिया में 399.7, सारंगढ़ में 536.2, बरमकेला में 414.9, घरघोड़ा में 409.4, तमनार में 347.9, लैलूंगा में 317.3 तथा धरमजयगढ़ तहसील में 395.4 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

शराब परिवहन करते आरोपी से 10 लीटर महुआ शराब जब्त

रायगढ़। सरिया पुलिस द्वारा दिनांक 23.07.2021 को मुखबिर सूचना पर आरोपी गौरी शंकर निषाद पिता मुरलीधर उम्र 40 वर्ष सा0 बुदेली थाना बरमकेला को प्लास्टिक थैला में महुआ शराब लेकर पैदल आते समय ग्राम रिसोडा, बडे नावापारा रोड़ पर सरिया थाने के स्टाफ द्वारा पकड़ा गया। आरोपी के पास से थैला अंदर प्लास्टिक जरीकन में 10 लीटर महुआ शराब बरामद हुआ है। आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है। वहीं घरघोड़ा पुलिस मुखबिर सूचना पर उरांवपारा सार्वजनिक मंच के पास श्याम लाल उरांव पिता झडीराम उरांव उम्र 40 वर्ष साकिन उरांवपारा घरघोड़ा को महुआ शराब बिक्री के लिये ग्राहक तालाश करते समय पकड़े। आरोपी से 07 लीटर महुआ शराब की जप्ती की गई है। आरोपी पर धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

राजधानी समेत प्रदेश में अनेक स्थानों पर हुई वर्षा

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार दोपहर से लेकर शनिवार दोपहर तक राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम एवं कुछेक स्थानों पर भारी वर्षा हुई, वहीं अगले 24 घंटो के दौरान भी अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। स्थानीय मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक निम्न दाब का क्षेत्र झारखंड और उससे लगे उत्तर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ऊपर स्थित है, इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। एक द्रोणिका निम्न दाब के क्षेत्र से उत्तर गुजरात तक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए 3.1 किलोमीटर से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। मानसून द्रोणिका फ्लोदी, अजमेर, दतिया, निम्न दाब का केंद्र, बालासोर, और उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है।

12 लाख की पिग आयरन चोरी मामले में जेएसडब्ल्यू कम्पनी का लोडिंग सुपरवाईजर, सेक्युरिटी गार्ड और ट्रक चालक गिरफ्तार

रायगढ़। थाना भूपदेवपुर अन्तर्गत जेएसडब्ल्यू कम्पनी नहरपाली में दिनांक 22/07/2021को डीआरआई मिक्स मटेरियल के स्थान पर ट्रक का चालक कम्पनी से 33.470 टन पिग आयरन (कीमती 12.71 लाख) की चोरी कर फरार होता इसके पहले ही पकड़ा गया। चोरी में शामिल ट्रेलर वाहन का चालक तथा कम्पनी के माल लोडिंग सुपरवाईजर, सेक्युरिटी गार्ड को भूपदेवपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर चोरी की सम्पत्ति मय ट्रेलर वाहन कब्जे में लिया गया है। आरोपियों को कल रिमांड पर भेजा जावेगा।

जानकारी के अनुसार दिनांक 22/07/21 के दोपहर करीब 03/45 बजे ट्रक क्रमांक सीजी13 एलए 1580 का चालक हारून अंसारी जेएसडब्ल्यू प्लांट के अंदर डीआरआई मिक्स मटेरियल उठाने के लिए आया था। रात्रि के करीब 11/45 बजे ट्रक का चालक मुख्य गेट के पास लोड गाडी लेकर पहुंचा। उस समय सेक्युरिटी गार्ड उमेश यादव ड्यूटी पर तैनात था जिसने उस ट्रक को बड़ी सफाई से गेट के बाहर निकाल दिया। उसी समय सेक्युरिटी सिफ्ट इंचार्ज आशुतोष चतुर्वेदी की नजर दोनों पर पड़ी जिस पर ट्रक को रोक कर ड्रायवर से कागजात मांगे, ट्रक चालक हारून अंसारी कोई कागजात पेश नहीं किया, तब शंका होने पर ट्रेलर को वापस प्लांट के अंदर भेजकर चेक कराये तो ट्रक में डीआरआई मिक्स मटेरियल के स्थान पर पिग आयरन लोड किया हुआ था। ड्रायवर से पूछताछ किये तो बताया कि माल लोडिंग सुपरवाईजर अजीत चौधरी एवं गार्ड उमेश यादव के साथ मिलकर इन्होने 33.470 टन पिग आयरन कीमती 12,71,860/-रूपये को चोरी कर ले जा रहा था।

पिग आयरन चोरी के संबंध में जेएसडब्ल्यू नहरपाली के प्रबंधक अमित सिकरवार द्वारा आज थाना प्रभारी भूपदेवपुर निरीक्षक उत्तम साहू को मिलकर घटना की जानकारी दिया गया तथा लिखित में कार्रवाई करने आवेदन दिया गया है, जिस पर थाना प्रभारी द्वारा ट्रक क्रमांक सीजी13 एलए 1580 के चालक हारून अंसारी एवं सुपरवाईजर अजीत चौधरी तथा गार्ड उमेश यादव के विरूद्ध अप.क्र. 152/2021 धारा 379,34 भादवि दर्ज कर तत्काल पुलिस टीम लेकर आरोपी 1- ट्रक चालक हारून अंसारी पिता असगर अंसारी उम्र 23 साल निवासी ओबरा जिला गढ़वा (झारखंड) 2- लोडिंग सुपरवाईजर अजीत चौधरी पिता हरिद्वार चौधरी उम्र 44 वर्ष निवासी बोइरदादर थाना चक्रधरनगर रायगढ़ 3- सिक्युरिटी गार्ड उमेश यादव पिता ध्रुव यादव उम्र 26 साल निवासी हरसिद्धी जिला चम्पारण (बिहार) को गिरफ्तार कर चोरी गई पिग आयरन मय ट्रेलर वाहन कब्जे में लिया गया है। आरोपियों को कल न्यायिक रिमांड पर भेजा जावेगा। मामले में शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी एवं माल बरामदगी में टीआई उत्तम साहू एवं सहायक उप निरीक्षक देव प्रसाद चौहान, आरक्षक सिदार सिंह सिदार, कृष्ण कुमार वारेन, सुमीत उरांव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

नौकरी लगाने व लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 23/07/21 को शिकायतकर्ता श्रीमती उत्तरा चौहान पति रामकुमार चौहान उम्र 40 वर्ष साकिन लामीदरहा, थाना चक्रधरनगर भजनडीपा जूटमिल में रहने वाले मोहित राम चौहान के विरूद्ध आवेदन लेकर थाने पहुंची। शिकायतकर्ता बताई कि दो साल पहले मोहित राम चौहान 50,00,000 लोन निकाल देने या नौकरी लगा देने का झांसा देकर लगभग 17 लोगों से 10,000-15,000 रूपये रकम लिया गया है पर पर्यंत तक न ही लोन निकलवा पाया और न ही किसी व्यक्ति को नौकरी दिलाया पाया है। इस तरह मोहित राम चौहान भोले-भाले लोगों को आए दिन ठगते आ रहा है।

थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक अभिनव कांत सिंह आवेदन की सत्यता जानने थाने से सहायक उप निरीक्षक प्रकाश नारायण पाण्डेय व आरक्षक विक्कु सिंह को जांच के लिये रवाना किये। जांचकर्ता अधिकारी एएसआई प्रकाश नारायण पांडे को मोहित राम चौहान द्वारा 16 लोगों को नौकरी लगाने वाला लोन निकलवा देने के एवज 2,55,000 रूपये की ठगी करना प्रथम दृष्टिया पता चला है। शिकायतकर्ता श्रीमती उत्तरा चौहान के आवेदन पर आज दिनांक 24/07/2021 को अप.क्र. 431/2021 धारा 420 भादवि कायम कर आरोपी मोहित राम चौहान पिता दयाल चौहान उम्र 55 वर्ष निवासी भजनडीपा राजीवनगर जूटमिल थाना कोतवाली को तत्काल गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

विचाराधीन बंदी नीलमणी यादव के मृत्यु के संबंध में दण्डाधिकारी जांच के आदेश

» घटना के संबंध में आपत्ति या जानकारी हो तो 9 अगस्त को एसडीएम न्यायालय रायगढ़ में कर सकते है प्रस्तुत

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने विचाराधीन बंदी नीलमणी यादव की 10 जून 2021 को शाम 6.13 बजे उपचार के दौरान हुई मृत्यु के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.)को दंडाधिकारी जांच अधिकारी नियुक्त किया है। बंदी नीलमणी यादव की मृत्यु के संबंध में किसी व्यक्ति को आपत्ति या जानकारी प्रस्तुत करना हो तो वे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)एवं दण्डाधिकारी जांच अधिकारी, रायगढ़ में 9 अगस्त 2021 को पूर्वान्ह 11 बजे शपथ पत्र अथवा लिखित में या स्वयं उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करा सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त शपथ पत्र या बयान आदि पर विचार नहीं किया जाएगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) से प्राप्त जानकारी के अनुसार आबकारी अधिनियम के विचाराधीन बंदी नीलमणी यादव, उम्र-27 वर्ष, साकिन भालूमार, थाना-घरघोड़ा, जिला रायगढ़, जो माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला-रायगढ़ द्वारा जारी वारंट के तहत 8 जून 2021 को जिला जेल रायगढ़ में प्रविष्ट हुआ था। बंदी के एल्कोहालिक होने के कारण अचानक स्वास्थ्य खराब होने से 10 जून 2021 को प्रातः 11.45 बजे उपचार हेतु जेल गार्ड की अभिरक्षा में स्व.लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं कि.शा.जिला चिकित्सालय, रायगढ़ भेजा गया। जहां चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण व उपचार पश्चात वापस 12.50 बजे जेल दाखिल किया गया एवं पुनः संध्या 5.30 बजे उपचार हेतु जेल गार्ड की अभिरक्षा में स्व.लखीराम अग्रवाल स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं कि.शा.जिला चिकित्सालय, रायगढ़ भेजा गया, जहां चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण पश्चात उपचार दिया गया। उक्त विचाराधीन बंदी के उपचार के दौरान 10 जून 2021 को संध्या 6.13 बजे मृत्यु हो गई।

मोहल्ला कक्षा के संचालन सहित विभागीय गाईड लाईन्स का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश

रायगढ़। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में शिक्षा की निरंतरता और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के उद्देश्य से 23 जुलाई को सचिव डॉ.कमलप्रीत सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा अधिकारियों को विभिन्न दिशा निर्देश दिए। उक्त निर्देशों की परिपालन में जिला शिक्षा अधिकारी आर.पी.आदित्य ने बताया कि रायगढ़ जिला शिक्षा के विभिन्न आयामों, गतिविधियों एवं शैक्षणिक योजनाओं के क्रियान्वयन में हमेशा अग्रणी रहा है और इस वर्ष भी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। जिसके तहत सभी विद्यालय के लिए मोहल्ला कक्षाएं अनिवार्य होंगी।

कक्षा 1 से 12 तक समस्त शिक्षक सभी बच्चों को मोहल्ला कक्षा अंतर्गत अध्यापन कार्य कराना होगा। स्थान का चयन सुविधानुसार गांव अथवा बसाहट के किसी स्थान पर करा सकते है। स्थान नहीं मिलने पर विद्यालय परिसर का उपयोग कर सकते है। मोहल्ला कक्षा में बच्चों को उनकी कक्षा के पाठ्यक्रम को ही पढ़ाया जाएगा, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं पढ़ाएंगे। सभी विद्यालय माह के अनुसार निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे जो कि बढ़ते क्रम में होगा। प्रत्येक माह टेस्ट परीक्षा आयोजित होगी, जिसका रिकॉर्ड अपने विद्यालय में रखना होगा। इसके अतिरिक्त 3 टेस्ट होंगे। जिसमे पहला बेसलाइन, दूसरा मिडलाइन और तीसरा एंड लाइन, जिसकी राज्य स्तर से मॉनिटरिंग भी होगी। प्रतिदिन मोहल्ला कक्षा में जितने बच्चे उपस्थित होंगे, उनकी उपस्थिति भी दर्ज करना होगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस सॉफ्टवेयर में प्रदेशभर के समस्त विद्यालय, समस्त शिक्षक तथा समस्त विद्यार्थियों की नाम सहित एंट्री है, जिससे प्रतिदिन कितने शिक्षक कक्षा ले रहे हैं और कितने विद्यार्थी जुड़ रहे हैं यह विद्यालयवार ज्ञात हो सकेगा। सभी शिक्षक प्रतिदिन मोहल्ला कक्षा की जानकारी अपलोड करेंगे। कक्षा में सभी बच्चों की उपस्थिति का अभिलेख रखना होगा। इस हेतु संकुल से लेकर जिले और राज्य स्तर के मॉनिटरिंग हेतु अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। सभी कक्षाओं में कोरोना प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। अब तक सेतु पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक महीने की प्रैक्टिस करा रहे थे, अतः और समय ना लगाते हुए अगस्त से नियमित पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से पढ़ाना शुरू करेंगे। सभी विद्यालय अपने समय को इस प्रकार निर्धारित करेंगे कि आधे बच्चे प्रथम पाली में और आधे बच्चे द्वितीय पाली में अलग-अलग मोहल्ला कक्षाओं में उपस्थिति दे सकें। अर्थात प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन उपस्थित होना होगा। यदि किसी बच्चे को सर्दी जुखाम है, तो उसे विद्यालय आने से मना किया जाए। सभी विद्यालय साफ-सफाई की व्यवस्था पूर्व में कर लें और पुस्तक वितरण एवं गणवेश वितरण को शत-प्रतिशत पूर्ण करें तथा उपरोक्त अनुसार मोहल्ला कक्षा का संचालन सभी शालाओं के द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

युवती से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया रिमांड पर

रायगढ़। दिनांक 22/07/2021 को सथाना सरिया में थाना क्षेत्र की युवती अपने परिजन के साथ थाने आकर ग्राम भिखमपुरा के गोलु उर्फ दिनेश्वर सत्यम के विरूद्ध दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता बताई कि दिनांक 22/07/2021 के दोपहर गोलु सत्यम उर्फ दिनेश्वर सत्यम फोन कर भिखमपुरा के गौशाला में बुलाया, पूर्व परिचित होने के कारण उसके बुलाये जाने पर चली गयी। वहां जाने पर दिनेश्वर प्यार करता हूँ, शादी करूंगा कहकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया। घर आने के बाद युवती डर से किसी को नहीं बताई थी घर में रोते हुये देख मां के पूछने पर घटना बताई और दूसरे दिन परिजनों के साथ थाने आकर आरोपी युवक पर रिपोर्ट दर्ज कराने आई। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी युवक गोलु उर्फ दिनेश्वर सत्यम पिता लोहरिक सत्यम उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम भिखमपुरा थाना सरिया के विरूद्ध अप.क्र. 154/2021 धारा 376,506 आईपीसी पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

डेंगू, मलेरिया से बचाव के लिये विधायक प्रकाश नायक ने किया मच्छरदानी वितरण

रायगढ़। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विधायक रायगढ़ प्रकाश नायक ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामभांठा में बीपीएल परिवार के लोगों को डेंगू व मलेरिया से बचाव के लिये मच्छरदानी का वितरण किया।

विधायक नायक ने कहा कि बारिश के दौरान मच्छरों के बढ़ने से मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। लम्बे समय से घर में कूलर, फ्रीज के चेम्बर या अन्य किसी पात्र में रखे पानी में डेंगू के लार्वा पनपते है। ऐसे में हम सभी को सावधानी रखना जरूरी है। घर पर जरूरी साफ-सफाई बनाये रखने तथा बीमारी से बचने के सभी एहतियात बरतने की बात कही। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्वच्छता तथा वेक्टर जनित रोगों के रोकथाम के विषय में लोगों को जानकारी दी।

इस अवसर पर महापौर श्रीमती जानकी काटजू, पार्षद श्रीमती ईश कृपा तिर्की, अमृत काटजू, सीएमएचओ डॉ.एस.एन.केशरी, जिला मलेरिया अधिकारी डॉ.टी.जी.कुलवेदी, डॉ.योगेश पटेल, डॉ.राकेश वर्मा, डॉ.काकोली पटनायक तथा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

सघन टीकाकरण अभियान में घर-घर पहुंची टीम

» सारंगढ़ व लैलूंगा के कम टीकाकरण वाले गांवों में रहा फोकस

रायगढ़। जिले को कोरोना मुक्त करने के उद्देश्य से शत-प्रतिशत टीकाकरण के लक्ष्य को लेकर कलेक्टर भीम सिंह के नेतृत्व में लगातार कार्य किया जा रहा है। जिले के सारंगढ़ तथा लैलूंगा विकासखण्ड के दो-दो सेक्टर के ऐसे गांव जहां कोविड टीकाकरण की रफ्तार कम है। वहां सघन अभियान चलाकर आज टीकाकरण किया गया। इसमें प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम इन गांवों में लोगों के घर-घर तक पहुंची और लोगों को समझाईश देकर टीका लगवाया गया। जिसके तहत इन सेक्टर्स में आज कुल 6 हजार 780 टीके लगाये गये।

जिले को पूर्ण रूप से कोविड टीकाकृत बनाने के लिए तेजी से टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। जिसके तहत आज सारंगढ़ के भेड़वन तथा कोसीर व लैलूंगा के मुकडेगा व राजपूर सेक्टर के गांवों पर फोकस किया गया। इसके लिए उप स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर टीम का गठन किया गया था। जिसमें गांव के सरपंच सहित शिक्षक और अन्य स्कूल स्टाफ, ग्राम पंचायत सचिव, कृषि अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, स्वास्थ्य विभाग स्टाफ, मितानिन, किसान संगवारी, हैंड पम्प ऑपरेटर, राशन दुकान संचालक, कोटवार, पटेल, रोजगार सहायक, मनरेगा मेट, स्वच्छग्राही महिलायें, बिहान की सक्रिय महिलायें, समूह अध्यक्ष शामिल रहे। इस संयुक्त टीम ने इन गांवों में अब तक टीका नहीं लगवाये लोगो को ट्रैक कर उनको समझाईश दी और टीकाकरण करवाया।

जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ.भानु पटेल ने बताया कि ये गांव टीकाकरण के लिए काफी चुनौती भरे रहे है। यहां लोगों को लगातार समझाईश देने पर भी टीकाकरण की रफ्तार नहीं बढ़ रही थी। इसलिए कलेक्टर भीम सिंह के नेतृत्व तथा सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल के मार्गदर्शन में यह सघन टीकाकरण अभियान चलाया गया। जिसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रशासन की टीम ने इन गांवों में लोगों से वन टू वन बात कर उनकी झिझक दूर की और केन्द्रों में लाकर टीका लगवाया। उन्होंने बताया कि आगे भी ऐसे सघन टीकाकरण अभियान जारी रहेंगे।

गर्भवती महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर लगवाया टीका- आज टीकाकरण के लिए सेक्टर स्तर पर जिला स्तरीय अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी। सुबह से सभी नोडल ने अपने सेक्टर के अंतर्गत आने वाले गांवों में लोगों को घर-घर जाकर टीका लगाने की समझाईश दी। आज टीकाकरण में युवाओं के साथ नये गाईड लाईन्स के अनुसार गर्भवती व शिशुवती माताओं ने भी बढ़-चढ़कर टीका लगवाया। अधिकारियों ने महिलाओं को समझाया कि जिस प्रकार टिटनेस का टीका बच्चे की स्वास्थ्य के लिए होता है उसी प्रकार यह टीका गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य के सुरक्षा के लिए है। इसके लगाने से माताए सुरक्षित होंगी तथा बच्चे को भी सुरक्षा चक्र मिलेगा। इसका महिलाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा व बड़ी संख्या में गर्भवती व शिशुवती महिलाओं ने टीका लगवाया।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480